

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटलनगर, रायपुर (छ.ग.)  
(फोन- 0771-2636413 फैक्स- 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक - 574 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2024  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06.07.2024

1. कुलसचिव,  
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय,  
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़।

विषय :- प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 अनुसार अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत  
संदर्भ :- उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक-एफ-3-54/स्था/2020/38-1 दिनांक 20.06.2024

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राज्य शासन द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति-2024 को मंत्रीपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त नीति पर दिनांक 19 जून, 2024 (आयटम क्रमांक-10.06) द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अतः अतिथि व्याख्याता नीति-2024 तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,  
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक - 575 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2024  
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 06.07.2024

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. कुलपति, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय (छ.ग.)।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़।
4. अपर संचालक, संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/दुर्ग/विलासपुर/जगदलपुर/अम्बिकापुर संभाग (छ.ग.)।
5. समस्त जिला कोषालय अधिकारी।
6. प्रभारी अधिकारी, न्यायालयीन प्रकोष्ठ/विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,  
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)